138

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 583/1994 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28—03—1994 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 247/85—86/निगरानी

.....

षशिवनारायण पुत्र द्वारकाप्रसाद मृतक वरिसान—

1. जावित्री देवी बेवा स्व. श्री शिवनारायण
2. उमेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री शिवनारायण शर्मा
3. सतीश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री शिवनारायण शर्मा
4. दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री शिवनारायण शर्मा
5. विनोद कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री शिवनारायण शर्मा
6. अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री शिवनारायण शर्मा

समस्त निवासीगण—ग्राम करसंडा तहसील पोरसा अम्बाह
जिला—पुरैना म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— रामसहाय पुत्र रामलखन
2— नत्थीलाल पुत्र रामलखन
3— कपूरी देवी विधवा माता प्रसाद पुत्री रामलखन
4— मीरादेवी पुत्री रामलखन पत्नी द्वारका प्रसाद
निवासीगण—हरचंद का पुरा तहसील अम्बाह, जिला—मुरैना
5— जगदीश प्रसाद तथाकथित दत्तक पुत्र रामदीन
निवासी—ग्राम करसंडा तहसील पोरसा अम्बाह
जिला— मुरैना, म0प्र0
6— रमेशचन्द्र पुत्र केदारनाथ
निवासी—ग्राम करसंडा तहसील पोरसा अम्बाह
जिला मुरैना, म0प्र0
7— गीताराम पुत्र रामेष्वर दयाल
8— विजय कुमार पुत्र रामेष्वर दयाल
दोनों निवासी—ग्राम करसंडा तहसील पोरसा अम्बाह
जिला—मुरैना, म0प्र

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 19.9.16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 247 / 85–86 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–03–1994 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आवेदकगण के पिता शिवनारायण (मृतक) द्वारा विचारण न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम करसेंडा में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 450, 451, 694, व 769 एवं ग्राम रूहेरा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 733 एवं 735 पर आवेदक आधिपत्य कृषक के रूप में आधिपत्यधारी है । वादग्रस्त भूमि अनावेदकगण ने संवत् 2022 के जेष्ठ माह में रुपये 1000/– प्रीमियम लेकर शासकीय लगान पर 50 वर्ष के लिये जुताया था । आवेदक उक्त भूमि पर बहैसियत आधिपत्य कृषक काष्त कर रहा है । अनावेदकगण ने संहिता की धारा 168 का उल्लंघन किया है । अतः आवेदक को अनावेदकगण के स्थान पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया जावे । विचारण न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करने के पश्चात आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सिद्ध न करना मानकर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 23.04.87 को अनुबंध और आवेदक द्वारा लगान अदा करना सिद्ध न होने से तथा वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा सिद्ध न होना मानकर अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई । इसी दौरान आवेदक शिवनारयण की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके वैध वारिसानों को रिकॉर्ड में लिया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । न्यायालय अपर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 247 / 85–86 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–03–1994 द्वारा अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्य के सिद्धांत को समझने में त्रुटि की है । प्रकरण के अभिलेख में उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य

पर सम्यक विचार कर निष्कर्ष निकालना चाहिये था । प्रथम अपीली न्यायालय ने पटवारियों की साक्ष्य पर विचार ही नहीं किया है । इस प्रकार प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर वैधानिक भूल की है एवं ऐसे आदेश को द्वितीय अपीली न्यायालय ने स्थिर रखने में अवैधानिक त्रुटि की है । आवेदक ने मौखिक साक्ष्य द्वारा भलीभांति साबित किया है कि वह संवत् 2022 से विवादित भूमि का मौसमी कृषक है एवं संहिता की धारा 168 के उल्लंघन के कारण वहां धारा 169 के अधीन मौसमी कृषक तथा धारा 190 के अधीन भूमिस्वामी हो गया है । प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य क्योंकर अविष्वसनीय है, इसके कोई ठोस कारण नहीं है । आवेदक ने द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष लगान की रसीदें भी पेश कर दी थी, किन्तु द्वितीय अपीली न्यायालय द्वारा इस विषय में किसी प्रकार का निष्कर्ष दिये बिना आदेश पातिर किया है जो नितांत अनुचित है एवं अपास्त किये जाने योग्य है । अतएव निगरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन भलीभांती किया गया । विचारण न्यायालय की प्रकरण पत्रिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक की ओर से स्वयं आवेदक के अतिरिक्त गंगाराम एवं सत्यराम के कथन लिपिबद्ध कराये गये है । इसके अतिरिक्त सरमनलराल की पुत्रियां जनकदुलारी एवं रामरती ने इकबाल दावे भी पेश किये है । अनावेदकगण की ओर से स्वयं अनावेदक और ग्राम सहेरा के पटेल जगन्नाथ, ग्राम पटवारी पुत्तूलाल एवं ग्राम के पूर्व पटवारी विद्याराम के कटान कराये गये है ।

6/ अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पूर्व भूमिस्वामी सरमनलाल की तीन पुत्रियां में से दो पुत्रियां जनक दुलारी एवं रामरती द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावे की विवेचना करने आदेश में नहीं की है। उक्त महिलाओं द्वारा इकबाल दावे मकें यह बतलाया है कि वे सरमन लाल की वैध उत्तराधिकारी है और सरमन लाल ने मृतक शिवनारायण को रुपये 1000/– प्रीमियम लेकर 50 वर्षों के लिये वादग्रस्त भूमि जुताई थी तथा मृतक शिवनारायण के वादग्रस्त भूमि पर नामांतरनण में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । इस प्रकार इकबाल दावे में भूमिस्वामी एवं उपकृषक के मध्य हुये मौखिक अनुबंध के ग्राम एवं स्थान तथा सयमावधि आदि के बारे में उल्लेख नहीं है । अतः मात्र आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दावे को स्वीकार करने से आवेदकगण

का आवेदन पत्र प्रमाणित नहीं होता है। विशेष रूप से इस परिस्थिति में जबकि आवेदकगण के साक्ष्यों के कथनों में सारभूत विरोधाभाष हो। अतः उपयुर्क्त समस्त कथनों एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन उपरांत मेरा यह मत है कि आवेदकगण मौखिक अनुबंध एवं लगान अदा करने के महत्वपूर्ण तथ्य को सिद्ध करने में असंभव रहा है । आवेदकगण के वादग्रस्त भूमियों पर काबिज होने की पुष्टि भी भू–अभिलेख से नहीं होती है । अधीनस्थ न्यायालयों ने भी इसी प्रकार के निष्कर्ष लिये है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों को स्थिर रखा जाता है । फलतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जात है । प्रकरण समाप्त होकर, दखल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर